राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

CIN : U45201RJ2013SGC043014

756, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर–302015 (राजस्थान)

फोन नं. 0141–2740784, ई–मेल rpidcl@rajasthan.gov.in

क्रमांक : RPHCCL/NIT/469/ 919 दिनांक:– 01.07.2024

निविदा सूचना संख्या–03/2024–25

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के विभिन्न कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु 08 कनिष्ठ अभियंता सिविल माह अगस्त 2024 से 11 माह तक की अवधि के लिए अनुबन्ध पर लेने हेतु योग्य सेवा प्रदाता/फर्मो से मुहर बंद निविदाएं (वित्त जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र राजस्थान पुलिस की वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल (SPPP) की वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य	08 कनिष्ठ अभियंता सिविल
निविदा प्रपत्र का मूल्य	500/–
निविदा अमानत राशि	46000/–
अनुमानित लागत	23.00 लाख
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की दिनांक	दिनांक 01.07.2024 प्रातः 9.30 से 16.07.2024 सायं 4 बजे तक
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	16.07.2024 सायं 6.00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि व समय	18.07.2024 3.00 PM तक
निविदा जमा कराने का स्थान	भरी हुई निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाना है।

निविदा सम्बधित शर्तें एवं अन्य जानकारी राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। भविष्य में निविदाओं में संशोधन होने पर उपरोक्त वेबसाईटों पर ही प्रेषित किया जावेगा।

01.7.24

(रामजी लाल जाट)
महाप्रबन्धक
राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना,
विकास निगम लिमिटेड राजस्थान जयपुर

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
CIN : U45201RJ2013SGC043014
756, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर–302015 (राजस्थान)
फोन नं. 0141–2740784, ई–मेल rpidcl@rajasthan.gov.in

सूचना संख्या 03/2024–25

कार्यालय राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्यालय हेतु 10 कनिष्ठ अभियंता सिविल अनुबन्ध पर लेने हेतु आमंत्रित निविदा का विवरण :–

कार्य	08 कनिष्ठ अभियंता सिविल
निविदा प्रपत्र का मूल्य	500/–
निविदा अमानत राशि	46000/–
अनुमानित लागत	23.00 लाख
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की दिनांक	दिनांक 01.07.2024 प्रात 9.30 से 16.07.2024 सायं 4 बजे तक
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	16.07.2024 सायं 6.00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि व समय	18.07.2024 3.00 PM तक
निविदा प्रपत्र सामने दर्शायी वेबसाईट से भी डाउनलोड की जा सकती है।	www.police.rajasthan.gov.in & www.sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in
निविदा की वैद्यता अवधि	निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि से 90 दिन तक
निविदा जमा कराने का स्थान	भरी हुई निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाना है।

1. राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर मुख्यालय द्वारा योग्य फर्मो से 08 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (मुख्यालय जयपुर हेतु 2, 1 आरपीए चौकी एवं जोन कार्यालय उदयपुर 2, जोन कार्यालय भरतपुर हेतु 1, तकनीकी सहायक प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक क्रमशः एक–एक कुल 08) हेतु निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।
2. निविदा विहित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।
3. निविदा सूचना विभाग की अधिकृत वैबसाइट www.police.rajasthan.gov.in व www.sppp.raj.nic.in, पर भी अपलोड कर दी गई है।
4. निविदा प्रपत्र कार्यालय समय मे कार्यालयाध्यक्ष के अनुभाग में उपलब्ध होने के साथ साथ उक्त वैबसाइट पर भी उपलब्ध है जो कि इच्छुक फर्मों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।
5. निविदाता से अपेक्षित है कि वह निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र का भली–भॉति अध्ययन कर ले। इस सम्बंध मे किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना में अंकित दिनांक तक कार्यालय समय में कार्यालयाध्यक्ष के अनुभाग में सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।
6. निविदा दाता पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय समस्त वांछित प्रपत्रों/संलग्नकों के, निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में, निविदा सूचना में अंकित वेबसाईअ पर अपलोड करवायेगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ निविदा शुल्क एवं अमानत राशि RTGS/NEFT के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक आरपीआईडीसीएल के बैंक खाता संख्या 0298102000026035 IFSC Code IBKL0000298 आईडीबीआई बैंक टोंक रोड जयपुर में नियमानुसार जमा करानी अनिवार्य है। जिसकी सूचना भी निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाईन अपलोड करवानी होगी। जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जाय
8. निविदा शुल्क एवं ई–टेन्डरिंग शुल्क व अमानत राशि (तीनों) के कुल योग की राशि का एक ही RTGS/NEFT किया जावें।
9. विभाग द्वारा समय पर प्राप्त निविदाओं को, निविदा सूचना में दर्शाये गए समय एवं दिनांक को उपापन समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
10. निविदादाता निविदा निर्धारित प्रारूप में मय अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर अपलोड करेगा।

    विभाग को किसी भी निविदा को, स्वीकार अथवा निरसत करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत /निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विमर्श नही किया जायेगा।
11. निविदा प्रपत्र में बतायी गयी शर्तों के अतिरिक्त निविदा दाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

01.7.24

(रामजी लाल जाट)
महाप्रबन्धक
राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना
विकास निगम लिमिटेड, जयपुर

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
CIN : U45201RJ2013SGC043014
756, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर–302015 (राजस्थान)
फोन नं. 0141–2740784, ई–मेल rpidcl@rajasthan.gov.in

विषय–सूची

क्रम सं.	अध्याय
1	निविदा आमंत्रण
2	कार्य विवरण
3	पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)
4	निविदा की विधि
5	अपात्रता
6	निविदा का मूल्यांकन
7	कार्य संपादन प्रतिभूति राशि एवं निर्णित हर्जाना (Performance Security Deposit and Liquidated Damages)
8	सामान्य नियम, स्पेशिफिकेशन, शर्तें एवं भुगतान
9	निविदा प्रपत्र (Bid Form)
10	निविदा (दर प्रस्ताव)
अनुलग्नक (Annexure)	
1	शपथ पत्र (फर्म के लेटर हेड पर)
2	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों इत्यादि को उपलब्ध कराने के अनुभव का विवरण

निविदा आमंत्रण

1.1 राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर मुख्यालय द्वारा योग्य फर्मों से 08 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (मुख्यालय जयपुर हेतु 2, 1 आरपीए चौकी एवं जोन कार्यालय उदयपुर 2, जोन कार्यालय भरतपुर 1, तकनीकी सहायक प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक क्रमशः एक–एक कुल 08) हेतु निविदा आमंत्रण की जाती है।

1.2 निविदा विहित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करानी होगी।

1.3 निविदा सूचना विभाग की अधिकृत वैबसाईट www.police.rajasthan.gov.in व www.sppp.raj.nic.in पर अपलोड कर दी गई है।

1.4 निविदा प्रपत्र उक्त वैबसाईट पर उपलब्ध है। जो कि इच्छुक फर्मों द्वारा प्राप्त/डाउनलोड किया जा सकता है।

1.5 निविदा दाता के आपेक्षिक है कि निविदा जमा कराने से पूर्व निविदा प्रपत्र का भली–भाँति अध्ययन कर ले। इस संबंध में किसी भी प्रकार से स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना में अंकित दिनांक तक कार्यालय समय में कार्यालयाध्यक्ष के अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।

1.6 निविदा दाता पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मे समस्त वांछित प्रपत्रों/संलग्नकों के निविदा अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में/निविदा सूचना में अंकित वेबसाईट पर अपलोड करवाएगा। निर्धारित समय के प चात अपलोड निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.7 निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ निविदा भुल्क एवं अमानत राशि RTGS/NEFT के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक आरपीआईडीसीएल के आईडीबीआई बैंक टोंक रोड जयपुर के बैंक खाता संख्या 0298102000026035 IFSC Code IBKL0000298 में नियमानुसार जमा करानी अनिवार्य है।

1.8 विभाग द्वारा समय पर प्राप्त निविदाओं को, निविदा सूचना में दर्शाये गए समय एवं दिनाक को उपापन समिति द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

1.9 निविदा दाताओं निविदा निर्धारित प्रारूप में अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृश्ठ पर हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर अपलोड करेगा।

1.10 विभाग को किसी भी निविदा को, स्वीकार एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृति /निरस्त निविदाओं के निविदा दाताओं से कोई विमर्श नहीं किया जाएगा।

1.11 निविदा प्रपत्र में बताई गई भार्तों के अतिरिक्त निविदा दाता की कोई भी अन्य भार्त स्वीकार नहीं की जाएगी।

कार्य विवरण

2- विभाग द्वारा अभीष्ठ कार्य का विवरण निम्नानुसार हैः–

2.1 निगम द्वारा बताए गए कनिष्ठ अभियंता सिविल से संबंधित समस्त कार्यो का सम्पादन।

2.2 कनिष्ठ अभियंता सिविल का अनुबंध प्रथमतः अगस्त 2025 तक के लिए किया जावेगा। तथा इसके पश्चात आवश्यकता होने पर दोनों पक्षों की सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकेगा।

2.3 राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड जयपुर के कार्यालय द्वारा आवंटित कार्यो के अतिरिक्त कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।

2.4 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /इंजिनियरिंग कॉलेज से सिविल इन्जिनीयरिंग में स्नातक होना आवश्यक है।

2.5 कनिष्ठ अभियंता सिविल की स्पेशिफिकेशन व योग्यता निविदा प्रपत्र के बिन्दु सं. 8.1 वर्णित है, तदनुसार होना आवश्यक है।

पात्रता के मानदण्ड (Eligibility Criteria)

3.1 निविदा फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/सांझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति का निविदा भरने हेतु फार्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/सांझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा अधिकृत किये जाने दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो फार्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/सांझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

3.2 **पंजीकरण :–**

बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा।

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत				

3.3 **कार्यानुभव** :– फर्मों/निविदादाताओं को राजकीय कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) अनुबन्ध (न्यूनतम 15 कनिष्ठ अभियंता) पर उपलब्ध करवाने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करने होगें।

3.4 निविदादाता द्वारा अपने लैटर हैड पर निर्धारित प्रारूप (Annexure-01) में शपथ–पत्र अपलोड करेगा। जिसमें वह स्पष्ट रूप से निविदा के साथ लगाये गये प्रपत्रों/दस्तावेजों के सत्य होने को उल्लेखित करेगा साथ ही निविदादाता यह भी प्रमाणित करेगा कि निविदादाता फार्म को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी द्वारा Black Listed नहीं किया गया है।

निविदा के नियम

4.1 निविदा टाइप की हुई अथवा अमिट स्याही से भरी होनी चाहिए।

4.3 निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित तथा फर्म की मोहर लगा होना चाहिए। अहस्ताक्षरित अथवा बिना फर्म की मोहर अथवा दोनों निविदा का भाग नहीं माना जायेगा तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

4.4 निविदा एवं संलग्न प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। अन्य भाषा में प्राप्त निविदा अथवा प्रपत्रों/दस्तावेजो को विचार हेतु अयोग्य माना जायेगा।

4.5 निविदादाता निविदा प्राप्त करने, भरने निगम के समक्ष प्रस्तुत करने तथा स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के दौरान होने वाले समस्त खर्च स्वयं वहन करेगा। इस हेतु निगम द्वारा कोई भी राशि देय नहीं होगी।

4.6 निविदादाता से यह अपेक्षित है कि उसे साइट, निविदा की शर्तों एवं अन्य समस्त स्थानीय कानूनों एवं परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होगा। ऐसा न होने पर होने वाले नुकसान अथवा अन्य प्रभाव के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा। तथा निगम किसी प्रकार के दखल/क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4.7 निविदा प्रस्तुत किये जाने की आखिरी दिनांक के पश्चात 50 दिवस तक वैद्य होगी। उक्त अवधि से अल्प वैद्यता वाली निविदा निरस्त योग्य मानी जायेगी।

4.8 निविदा प्रस्तुत किये जाने के अंतिम दिनांक एवं समय अनुसार ही निविदा प्रपत्र संबंधित e-prock साईट पर अपलोड किया जाना होगा।

4.9 निगम द्वारा निविदाओं को उपापन समिति एवं निविदादाता फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोला जायेगा। निविदा का मूल्यांकन निगम द्वारा अधिकृत उपापन समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें ऐसी निविदाएं जो सम्पूर्ण हों तथा निविदा प्रपत्र में इंगित अर्हताएं पूरी करती हों, को स्वीकृत निविदाएं घोषित किया जायेगा। जो निविदाएं अपूर्ण हो अथवा निर्धारित अर्हताएं पूरी नहीं करती हो उन्हें अस्वीकृत घोषित कर निरस्त कर दिया जायेगा।

अपात्रता

5. निविदाएं निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती हैं।

5.1 निविदा सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त हुई निविदाएं।

5.2 अपूर्ण निविदायें

5.3 भ्रामक अथवा गलत तथ्य/दावे प्रस्तुत करने वाली निविदाएं।

5.4 एक से ज्यादा निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं निरस्त की जा सकेंगी।

5.5 अपूर्ण सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।

5.6 वांछित अहर्ताओं का पूर्ण न कर पाना।

5.7 निविदादाताओं अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टिकरण करना।

5.8 अल्प वैद्यता वाली निविदा प्रस्तुत करना।

निविदा का मूल्यांकन

6. राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड जयपुर मुख्यालय द्वारा योग्य फर्मों से 08 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) अनुबंध पर लेने की निविदा का मूल्यांकन निम्नानुसार होगाः–

6.1 निविदा– सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय तक प्राप्त होने वाली समस्त निविदाएं उपापन समिति एवं फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय को खोली जायेंगी। उक्त तिथि/समय में परिवर्तन होने पर नवीन तिथि की सूचना प्रदान कर दी जायेगी।

6.2 निविदाएं खोलने के बाद इनका मूल्यांकन किया जायेगा। आवश्यक समझने पर निविदादाताओं से उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रपत्र/दस्तावेज पर स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है जिसे निविदादाताओं को तय समय सीमा में निगम के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार उपापन समिति का होगा। निविदादाता स्पष्टीकरण के जवाब में कोई भी नवीन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसा करने पर नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा।

6.3 प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन निगम द्वारा किया जायेगा। इस दौरान किसी प्रकगार की गणितीय गलती का सुंधार RTPP Rules में वर्णित नियमों के तहत किया जायेगा।

6.4 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दरों की तुलना वित्तीय बिड के कॉलम संख्या 8 व 9 के योग की राशि से की जावेगी।

6.5 वित्तीय बिड के कॉलम संख्या 3 में दर्शायी गई (श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि राज्यसरकार की प्रचलित न्यूनतम दर से कम नहीं) राशि से कम की बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।

6.6 फर्म/बोलीदाता को जीएसटी व पेन नम्बर से संबंधित दस्तावेज संलग्न करने होंगे जीएसटी प्रचलित दरों के अनुरूप देय होगा।

6.7 नियमानुसार ईपीएफ, ईएसआई राशि का भुगतान निगम द्वारा प्रचलित दरों के अनुरूप किया जावेगा।

6.8 सफल निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर राशि रू. 1000/– का नॉन–ज्यूडिशियल स्टांप अनुबंध हेतु प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध एवं कार्य सम्पादन प्रतिभति राशि तय समय सीमा में प्रस्तुत करनी होगी।

6.9 यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अप्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितीय त्रुटि से संबंधित न हो सामान्य स्थितियों में निविदा के पश्चात बातचीत नहीं की जायेगी। तथापि, बातचीत निम्नतम् निविदाकारों से उन परिस्थितियों में की जा सकती है। जहां रिंग मूल्य उद्धरित किए गए हों या दरें अत्यन्त विचारणी हों एवं प्रचलित बाजार दर से अत्यधिक ऊंची हों। स्वीकार्य दरों के असमाधानप्रद उपलब्धि के मामले में उपापन समिति निम्नतम निविदाकार हेतु नियमों में दिये गये अनुसार प्रति प्रस्ताव करने का भी निश्चय कर सकती है। यदि प्रतिप्रस्ताव निम्नतम निविदाकार को स्वीकार्य न हो तो निविदाओं को नामंजूर करने और निविदा पुनः आमंत्रित करने या उसी प्रतिप्रस्ताव को पहले द्वितीय निम्नतम निविदाकार को और फिर तृतीय निम्नतम निविदाकार को और इसी क्रम में उस निविदाकार को प्रतिप्रस्ताव दिया जा सकता है जो प्रतिप्रस्ताव को स्वीकार करे।

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

(Performance Security Deposit and Liquidated Damages)

7. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security Money) एवं निर्णित हर्जाना (Liquidated Damages) निम्नानुसार होंगें:–

7.1 कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि सफल निविदादाता द्वारा कार्य आदेश की राशि 5 प्रतिशत के बराबर कार्य आदेश की दिनांक से 7 दिवस में जमा करानी होगी।

7.2 कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप RTPP2013 के नियम 75 के अनुसार निम्नलिखित किसी एक रूप में दी जाएगी:–

7.2.1 "ई.जी.आर.ए.एस."के माध्यम से जमाः

7.2.2 किसी अनुसूचित बैक का बैक ड्राफ्ट या बैंकर चैक।

7.2.3 राश्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाक घर द्वारा अल्प बचत के प्रोत्साहन हेतु योजना के अन्तर्गत प्रतिरक्षा बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, राश्ट्रीय बचत

प्रमाण पत्र या किसी अन्य स्क्रिप्ट/विलेख के रूप में बशर्ते कि वह सुसंगत नियमों के अधिन गिरवी (Pledge) रखी जा सकती है।वे निविदा के समय उनके समपर्ण मूल्य पर स्वीकार किये जाएंगें तथा हैड पोस्ट मास्टर की स्वीकृति से निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व क्रेता अधिकारी के नाम पर औपचारिक रूप से स्थानान्तरित किये जाएंगे।

7.2.4 किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जाएगी।

7-2-5 किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

7-3 कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfieture of Security Deposit):- निम्नलिखित मामलों में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया जाएगा

7-3-1 जब संविदा में किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

7-3-2 जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो।

7-3-3 जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुए निविदादाता को नोटिस दिया जाएगा।

7-3-4 प्रतिभूति निक्षेप की समपहृत की गयी राशि सम्बंधित विभाग के शीर्ष "अन्य प्राप्तियों" में जमा करायी जाएगी तथा अन्तरण प्रविष्टि की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सामान्य नियम, स्पेशिफिकेशन, भार्तें एवं भुगतान

8.1 कनिष्ठ अभियंता सिविल की निविदा हेतु स्पेशिफिकेशन सामान्य नियम एवं भार्तें निम्नानुसार रहेंगे:-

S.No.	8.1 item /specification	Qty.
1.	**Manpower**- The personnel should be a graduate in Civil Engineering from any registered university/Engineering college, should have knowledge to operate computer, preparing drawing, Measurement and Billing supervision of civil work and have Three year experience of civil work (Building and Roads).	08

8.2 उक्त कनिष्ठ अभियंता (सिविल) राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के विभिन्न कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध करवाये जाने वाले कनिष्ठ अभियंता सिविल निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारक एवं कम्प्यूटर परिचालन में दक्ष

होने चाहिए जो कार्यालय एवं कार्यस्थल पर वंचित कार्य दक्षता पूर्वक कर सके। सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कनिष्ठ अभियन्ता की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्र प्रेषित करना होगा।

8.3 सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) प्रतिदिन निर्माण स्थल अथवा कार्यालय में उपस्थित रहेगा, आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय समय के पश्चात् भी सेवा देनी होगी।

8.4 यदि उपलब्ध करायें गये कनिष्ठ अभियंता सिविलनिगम की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करते है तो सेवा प्रदात्ता को लिखित सूचना देकर परिवर्तन करने हेतु कहा जाएगा। निर्धारित अवधि में परिवर्तित नहीं करने पर 15 दिन का नोटिस देकर संविधा निरस्त (Repudiate) किया जा सके।

8.5 कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाओं के लिए किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।

8.6 भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संबंधित उपमहाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक द्वारा बिल पर संतोषप्रद से कार्य सम्पन्न किये जाने की टिप्पणी अंकित किये जाने पर भुगतान की कार्यावाही की जायेगी। तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जायेगा।

8.7 समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जायेगी।

(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैद्यानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संवेदक का होगा।

(ii) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत किया जायेगी।

(iii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों मे जमा करायी गयी राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करायी गई राशि का वितरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(iv) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक को होगा।

(v) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय

पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(vi) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी. एफ. और इ.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालना की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

(vii) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नंबर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधित प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(viii) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा करने का दायित्व संविदक का होगा।

(ix) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चालन की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान का नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(x) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, आदि सूचनाओं, दिशा-निर्देशो आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसका परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xi) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xii) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्य मुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiii) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ती या मुआवजा देना/ई.एस.आई. करवाने/ सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की

जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xiv) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xv) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे प्रथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करा रखी है। तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

8.9 कनिष्ठ अभियंतओं के कार्यों हेतु कार्यरत कर्मियों को तत्समय प्रचलित कानून/नियमों के तहत समस्त उपकरण/संसाधन/परिवेश उपलब्ध करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। कार्य को करते समय दुर्घटनावश अथवा अन्य किसी कारण से घायल होने, मृत्यु होने अथवा स्थाई/अस्थाई रूप से अपंग होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि देने का भार निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

8.10 कनिष्ठ अभियंता सिविलका कार्य करने वाले व्यक्तियों (सदस्यों) द्वारा फोटो युक्त Identity Card-cum-Entry Pass जारी किए जायेगें जिनसे भवन में प्रवेश करेंगें अन्यथा नहीं। साथ ही एक सूची निगम को भी उपलब्ध करवानी होगी। कर्मियों की समस्त देखरेख निविदादाताओं की होगी। एवं इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य दूसरे व्यक्ति का भवन में प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही यदि कोई कर्मी कार्य छोड़कर जाता है अथवा नया आता है तो इसकी समस्त जानकारी कार्यालयाध्यक्ष को उपलब्ध करवानी होगी। Identity Card-cum-Entry Pass केवल मात्र पुलिस मुख्यालय में ही मान्य होगा अन्यत्र नहीं। इन कार्यो के लिए किये जाने वाले समस्त खर्चों का भुगतान निगम द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

8.11 निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों के चाल चलन एवं चरित्र के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। कर्तयों के चाल चलन एवं चरित्र से संबंधित पूर्व में यदि कोइ रिकार्ड कानूनी रूप से खराब हो तो उसे इस कार्य के लिये नहीं लगाया जावेगा।

8.12 निविदादाता कनिष्ठ अभियंता सिविल का कार्य अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसा पाया जाने पर अनुबंध निरस्त कर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

8.13 कनिष्ठ अभियंता सिविल का कार्य करवाने हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालन करना होगी तथा बिना किसी विवाद के निविदादाता को कार्य सुनिश्चित करना होगा।

8.14 निविदा की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस विवाद पर राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड जयपुर का निर्णय अंतिम होगा। एवं निविदादाता को मान्य होगा।

8.15 किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाहियां किसी भी पक्ष (सरकार अथवा संविदाकार) द्वारा संशय किये जाने की आवश्यकता पडे तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही प्रारंभ होगी अन्य स्थान पर नहीं।

8.16 भुगतान :– निविदादाता को कनिष्ठ अभियंताओं का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति पर कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किया जावेगा। कनिष्ठ अभियंताओं के कार्य हेतु किये गये अनुबंध राशि का मासिक बिल तीन प्रतियों में मय ई.पी.एफ., ईएसआई, सर्विस टैक्स इत्यादि गत माह में कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं प्रमाणित करने के पश्चात भुगतान किया जायेगा।

8.17 कनिष्ठ अभियंताओं के गैर हाजरी के कारण प्रतिमाह प्रति कनिष्ठ अभियंताओं को भुगतान किये जाने वाली बिल की देय राशि से प्रतिदिन 800/– रूपये की कटौती की जावेगी।

8.18 नियमानुसार आयकर/अन्य कर की कटौती की जायेगी।

8.19 सफल निविदादाता को कार्यादेश दिए जाने की दिनांक से 7 दिवस में अनुबंध करना होगा।

निविदा प्रपत्र (Bid Form)

कनिष्ठ अभियंता सिविल हेतु निविदा प्रपत्र

राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड जयपुर–302015

निविदा संख्या 03/2024–25 जयपुर   दिनांक ----------------

1	निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग	राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड जयपुर।		
2	निविदा संख्या व दिनांक	03 दिनांक 01.07.2022		
3	कार्य/सेवा का विवरण	कनिष्ठ अभियंता सिविल		
4	अनुमानित लागत	रू. **23.00** लाख		
5	निविदादाता का नाम व पूर्ण विवरण	नाम		
		पता		
		टेलीफोन नं.		
		मोबाईल नं.		
		ई–मेल आई. डी.		
		वेबसाईट		
6	जी.एस.टी. रजि. नं.		एनेक्सचर	पेज नं.
7	पेन नं.		एनेक्सचर	पेज नं.
8	निविदादाता के बैंक का विवरण			
	बैंक खाता संख्या	भााखा का नाम	आई.एफ.एस.सी.कोड	
9	कार्यानुभव प्रपत्र (एनेक्सचर –02) भर कर संलग्न किया गया है अथवा नहीं (हाँ/नहीं)		एनेक्सचर	पेज नं.
निविदादाता के हस्ताक्षर				
दिनांक				
निविदादाता फर्म/कम्पनी का नाम				
निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने एवं हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद				
मोबाईल नं.				

परिशिष्ट 1(ब)

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
CIN : U45201RJ2013SGC043014

756, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर–302015 (राजस्थान)
फोन नं. 0141–2740784, ई–मेल rpidcl@rajasthan.gov.in

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड जयपुर के विभिन्न कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु कनिष्ठ अभियंता सिविल की निविदा सूचना संख्या 03/2024–25

निविदा (दर प्रस्ताव)

निविदादाता फर्म का नाम व पता...

....

कार्यालय राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड जयपुर के कार्यालय हेतु 08 कनिष्ठ अभियंता सिविल अनुबंध पर लेने हेतु खुली निविदा से संबंधित सभी भार्तें/हमने पढ़ ली है और ये भार्तें मुझे/स्वीकार्य है तथा मेरे द्वारा उक्त सेवाओं के उपापन के लिए निविदा की दरें e-proc की वेबसाईट निम्नानुसार प्रपत्र पर अपलोड कर दी गई है।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रति ात 13.15%	ESI दर प्रति ात 4.75%	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
		श्रमिकों की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी प्रति कनिष्ठ अभियंता प्रतिमाह	अभियंताओं की संख्या	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति अभियंता दर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आरपीआईडीसीएल के विभिन्न कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य	कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी	20000.00	08					
	कुल योग								
2		उपरोक्तानुसार तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 5 की पूर्तियां उपापन संस्था द्वारा कर दी गई है। स्तम्भ संख्या 5 से 10 की समुचित प्रविष्टियां निविदादाता द्वारा कर अपलोड की जावेगीं कोट की गई दर में सभी प्रकार के वैद्यानिक टैक्स, लेविज, चार्जेज, एम्पलोईज, का पी.एफ.,ई.एस.आई. आदि (जी.एस.टी. अतिरिक्त होगी) एवं अन्य उत्पन्न होने वाली वैद्यानिक दायित्व सम्मलित होगें। आरपीआईडीसीएल द्वारा उपरोक्त कोटेड दरों के अतिरिक्त किसी भी व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि किसी प्रकार के टैक्स की कटौती की जानी होगी तो आपूर्तिकर्त्ता द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल से कटौती की जावेगी।							

कॉलम संख्या 9 के आधार पर निविदा दर का मूल्यांकन किया जायेगा।
नोट :– जी.एस.टी. नियमानुसार प्रचलित दर के अनुसार देय होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :–..
पूरा पता :–...
....
....
फोन नं. ....
मोबाईल नं. ....
ई–मेल ....

Annexure-01

शपथ–पत्र (50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

मैसर्स (फर्म का नाम एवं पता)......................................

शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड जयपुर के कार्यालय हेतु 08 कनिष्ठ अभियंता सिविल हेतु ऑनलाईन निविदा क्रमांक 03/2024–25 दिनांक .... में मेरे द्वारा दी गयी समस्त जानकारियाँ/दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी।
2. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म केन्द्र/ राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा बोली लगाने से विवर्जन नहीं की गयी है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नामः

पदः

फर्म का नामः

फर्म का पूर्ण पताः

Annexure-02

फर्म/निविदादाता का राजकीय कार्यालयों/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कनिष्ठ अभियंता सिविल के कार्य लेने हेतु कार्य अनुभव

विभाग/संस्थान का नाम	राजकीय/अर्द्धसरकारी	अवधि कार्यानुभव (कार्यादेश की प्रति मय प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	अवधि दिनांक से दिनांक तक	क्या वर्तमान में इस विभाग/संस्थान में कार्य किया जा रहा है। (हाँ/नहीं)

निविदादाता के हस्ताक्षर

(नाम सील सहित)

Annexure 'A':

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

i. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

ii. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

iii. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

iv. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

v. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

vi. disclose conflict of interest, if any; and

vii. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during last three years or any debarment by any other procuring entity.

4.1.1.1 Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractualobligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

   a. have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge consultant for the contract.

Signature of the
bidder with seal

Annexure 'B'

7.1 Declaration by the Bidder regarding Qualifications

5.1.1 Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....

For procurement of

....in response to their Notice Inviting Bids

No. ....

Dated............................I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency inPublic Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. Iwe are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. Iwe do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period ofthree years preceding the commencement of this procurement process,or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Designation:

Address:

Signature of the
bidder with seal

Annexure 'C'

Grievance Redressal during Procurement Process

The Designation and address of the First Appellate Authority is..

The Designation and address of the Second Appellate Authority is...

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, an the case may be, upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any. to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or (b) Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

(i). Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii). Peruse or inspect documents, relevant records or coples thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the mailer, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal,

Signature of the bidder with seal

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..or..

Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i). Name of the appellant:
   (ii). Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s) (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal of the representative:
5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ....
   ....

Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

Signature of the bidder with seal

(iii). In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of the bidder with seal